Toppersnotes
Unleash the topper in you

बिहार ऑडिटर (अंकेक्षक)

BIHAR AUDITOR

BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION (BPSC)

भाग – 4

राजव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

SIERRA INNOVATIONS

भारत की राजव्यवस्था

अध्याय	पृष्ठ संख्या
(1) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
(2) संविधान सभा	9
(3) संविधान के स्त्रोत, प्रस्तावना, अनुसूचियां, भाग	14
(4) राज्य के तत्व एवं प्रशासन के अंग	26
(5) संघ एवं इसका क्षेत्र	32
(6) मूल अधिकार	34
(7) राज्य के नीति निदेशक तत्व	53
(8) मूल कर्तव्य	60
(9) संघीय सरकार	62
(10) राष्ट्रपति	62
(11) उपराष्ट्रपति	72
(12) प्रधानमंत्री	74
(13) महान्यायवादी एवं महाअधिवक्ता	76
(14) मंत्रिपरिषद	77
(15) संसदीय शासन प्रणाली	81
(16) संविधान संशोधन	87
(17) विधायिका (संसद)	90
(18) उच्चतम न्यायालय	117
(19) उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय	123
(20) राज्य का विधानमण्डल	128
(21) आपातकालीन उपबंध	131
(22) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	135
(23) केन्द्र राज्य सम्बन्ध	137
(24) राजभाषा	146
(25) राज्य की कार्यपालिका	149
• राज्यपाल	
(26) मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद	153
(27) प्रमुख आयोग	157
(28) स्थानीय स्वशासन	165

बिहार की राजव्यवस्था

(1) सामान्य परिचय 171
(2) बिहार में जिला प्रशासन 175
(3) बिहार में स्थानीय स्वशासन 177
(4) सांविधिक, विनियामक एवं अर्ध – न्यायिक निकाय 193
(5) शक्ति पृथक्करण एवं सैद्धांतिक विकास 196

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

(1) सामान्य परिचय 205
(2) विदेश नीति 214
(3) सार्क 223
(4) भारत एवं बांग्लादेश 225
(5) भारत एवं अफगानिस्तान 229
(6) भारत एवं उसके समुद्री पडौसी देश 231
(7) भारत और पाकिस्तान 235
(8) पूर्व भारत और दक्षिण पूर्व भारत 239
(9) सिंधु जल संधि 240
(10) भारत और म्यांमार 242
(11) भारत और अमेरिका 245
(12) भारतीय विदेश नीति 248
(13) भारत – चीन सम्बन्ध 252
(14) ब्रिक्स 256
(15) आईसीजे और आईसीसी 258
(16) विश्व व्यापार संगठन 260
(17) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 263

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं

(1) संयुक्त राष्ट्र 265
(2) विश्व स्वास्थ्य संगठन 269
(3) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ 272
(4) विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन 275
(5) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 278
(6) विश्व बैंक समूह 280
(7) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 285
(8) गैर सरकारी संगठन 288
(9) स्वयं सहायता समूह 292

Toppersnotes
Unleash the topper in you

भारतीय राजव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत मे ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप मे व्यापार करने के लिए आये थे इन्हें भारत मे व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया था ।
बक्सर के युद्ध (22 अक्टूबर 1764) के बाद प्रथम बार 1765 मे कम्पनी को बंगाल, बिहार व उडीसा की दीवानी प्राप्त हुई ।
दीवानी :- दीवानी से तात्पर्य है राजस्व संग्रहण व नागरिक न्याय की शक्ति ।

1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट

- इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया । उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई । प्रथम गवर्नर जनरल वार्नर हेस्टिंग्स था ।
- बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नरो को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया जो कि पहले स्वतंत्र थे ।
- इसके माध्यम से 1774 मे कलकत्ता मे एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमे एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश थे ।
- कम्पनी सर्वोच्च सत्ता (गवर्निंग बोडी) court of directors को राजस्व नागरिक व सैन्य रिपोर्ट नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कहा गया ।

उक्त एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने अपनी कम्पनी के राजनैतिक व प्रशासनिक महत्व को समझा तथा उसे नियमित व नियंत्रित करने का प्रयास करते हुऐ भारत मे केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी ।

1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट

- इसमे कम्पनी के वाणिज्यिक एवं राजनैतिक कार्यो को पृथक कर दिया गया ।
- इसमे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर (निदेशक मण्डल) को वाणिज्यिक कार्यो की छूट दी किन्तु राजनैतिक कार्यो के लिए Board of Central बनाया ।
- भारत मे स्थित सभी ब्रिटिश क्षेत्र तथा परिसम्पत्ति के सैन्य एवं नागरिक कार्यो पर निर्देशन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल (नियंत्रक मण्डल) को दी ।
- प्रथम बार द्वैध शासन लागू किया Board of control व court of directors

1833 का चार्टर एक्ट

- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया ।
  - सारी नागरिक व सैन्य शक्ति उसमे निहित की गई ।
  - भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंक थे ।
- बम्बई व मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई सारी शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल में निहित थी ।
- ईस्ट इण्डिया कम्पनी का स्वरूप बदला यह व्यापारिक कम्पनी नही रही बल्कि प्रशासनिक संस्था बनाई गई जो ब्रिटेन के राजमुकुट की ओर से कार्य करेगी ।

- प्रथम बार खुली प्रतियोगिता को भर्तियो मे आधार बनाने का असफल प्रयास किया गयातथा भारतीयों को भी कम्पनी के पदो के उपयुक्त माना गया ।

इस एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार भारत की सरकार की संकल्पना की गई तथा यह केन्द्रीकरण की तरफ एक निर्णायक कदम रहा ।

1853 A.D. का चार्टर एक्ट

- इसमे प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यपालिका कार्यो को अलग किया 6 नये सदस्य जोडे गये जिन्हे विधायी पार्षद कहा गया । अर्थात गवर्नर जनरल की एक विधान परिषद बनाई गई जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया यह एक छोटी ब्रिटिश संसद की तरह थी जिसमे वही प्रक्रियाये अपनाई जाती थी जो ब्रिटेन मे अपनाई जाती थी ।
- सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारम्भ दो प्रकार की सेवाये थी
  1. उच्च Covenatade सेवाएं
  2. निम्न Unconvenatade

  इस एक्ट मे उच्च सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई तथा एक्ट के प्रावधानों के तहत भारतीय सिविल सेंवा के लिए 1854 मे मैकाले समिति गठित की गई ।
- यद्यपि कम्पनी को आगे कार्य करने की अनुमति दी गई लेकिन निश्चित समयावधि नही दी गई ।

1858 का भारत शासन अधिनियम

प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद भारत मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त किया गया तथा सारी सत्ता ब्रिटिश राजमुकुट (क्राऊन) के अन्तर्गत आ गई इस अधिनियम को Act For The Good Government Of India (भारत की अच्छी सरकार बनाने के लिए बनाया गया अधिनियम) कहते है ।

1. भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा चलाया जायेगा ।
2. भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल कहा जाने लगा ।
   - वह भारत मे ब्रिटिश राजमुकुट का सीधा प्रतिनिधी था ।
   - प्रथम वायसराय लार्ड कैनिंग था ।
3. Board of Control तथा Court of Director समाप्त का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया ।
4. एक नये पद भारत का राज्य सचिव (Secretory of state for india) का सृजन किया गया ।
   - सम्पूर्ण सत्ता एवं नियंत्रण का दायित्व भारत के राज्य सचिव को दिया गया जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था ।
5. भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार समिति बनाई गई । इसमे कुछ सदस्य राजमुकुट की ओर से मनोनीत थे तथा कुछ का मनोनयन (Nomination) Board of directors की तरफ से था । 15 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष भारत सचिव था ।
6. यह समिति एक नियमित निकाय थी जिसे भारत एवं इंग्लैण्ड मे मुकदमे मे एक पक्ष बनने का अधिकार था अर्थात यह किसी पर मुकदमा कर भी सकती थी तथा इस पर मुकदमा किया जा सकता था इनका ऑफिस ब्रिटेन में ही था ।

कमी:–

1. यह केवल एकात्मक ही नही अपितु पूर्ण एकात्मक शासन था सम्पूर्ण क्षेत्र का विभाजन प्रान्तों मे किया गया था जिसका मुखिया G.G. था उसकी अपनी एक्जिक्यूटिव काउंसिल थी किन्तु से सभी

भारत सरकार के अर्जेन्ट प्रतिनिधी मात्र थे तथा सारे कार्य वायसराय एवं गवर्नर जनरल के आदेशानुसार किये जाते थे ।

2. विधायिक कार्यपालिका अथवा नागरिक या सैन्य पर कोई विभाजन नही था ।
3. जनता की राय का किसी स्तर पर कोई महत्व नही था ।

1861 का भारत परिषद अधिनियम

1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को शासन मे भारतीयों का सहयोग आवश्यक लगा अतः उक्त अधिनियम मे निम्न प्रावधान किये गये ।

1. वायसराय की विस्तारित (विधान परिषद) परिषद मे गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नामांकन सम्भव हुआ । 1862 मे प्रथम बार लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों – बनारस के राजा, पटियाला के राजा, दिनकर राव को नामांकित किया ।
2. बम्बई और मद्रास प्रान्त को अपनी विधायी शक्तियां वापस मिली अर्थात विकेन्द्रीकरण की दुबारा शुरूआत हुई ।
3. इसके माध्यम से बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त और पंजाब में क्रमशः 1861, 1886, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ ।
4. इसमे वायसराय को परिषद मे कार्य संचालन के लिए अधिक नियम व आदेश बनाने की स्वतंत्रता दी 1859 मे लार्ड कैनिंग द्वारा प्रारम्भ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली (मंत्रालय) को मान्यता दी अर्थात वायसराय की परिषद का कोई सदस्य एक या अधिक सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे परिषद की ओर से अन्तिम आदेश पारित करने का अधिकार था ।
5. इसमे आपात काल मे वायसराय को विधायी परिषद की सलाह के बिना अध्यादेश लागू करने की शक्ति दी जिसकी अवधि 8 माह थी ।

कमियाँः–

1. ये प्रतिनिध्यात्मक नही थी ।
2. मात्र वायसराय के द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर चर्चा का अधिकार था ।
3. वायसराय की इच्छा से ही बिल प्रस्तुत किया जा सकता था ।
4. विधेयक के पास होने पर भी वायसराय को वीटो का अधिकार था तथा राजमुकुट के विचारार्थ रखने का भी अधिकार था ।
5. अध्यादेश का अत्यन्त व्यापक अधिकार दिया गया था ।

1892 का भारत परिषद अधिनियम

- इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदो मे अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यो की संख्या बढाई गई किन्तु बहुमत सरकारी सदस्यों का था ।
- इसमे विधानपरिषदों के कार्यो मे वृद्धि की जैसे बजट पर चर्चा का अधिकार कार्य पालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार ।
- इसके माध्यम से भारतीय विधानपरिषद के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन प्रान्तीय विधान परिषद तथा बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के माध्यम से तथा प्रान्तीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यो का मनोनयन विश्वविद्यालय जिला बोर्ड व्यापार संघ नगरपालिका तथा जमींदारो के द्वारा किया जाना था अन्तिम निर्णय केन्द्र में वायसराय, प्रांत में गवर्नर का होता था ।

यद्यपि उक्त अधिनियम मे चुनाव शब्द का प्रयोग नही हुआ किन्तु केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदों मे गैर सरकारी सदस्यों के लिए एक समिति एवं अप्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग किया गया

1909 का भारत शासन अधिनियम

- इसे मार्ले-मिन्टो सुधार कहते है ।
- लॉर्ड मार्ले भारत सचिव था तथा मिन्टो भारत का वायसराय था ।

विशेषता :-

1. इसमे केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों की संख्या मे काफी वृद्धि की गई (60) राज्यों/प्रांतों मे संख्या अलग अलग थी ।
2. केन्द्रीय विधानपरिषदों मे सरकारी बहुमत रखा गया किन्तु प्रान्तो मे गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी गई ।
3. विधानपरिषदों की चर्चा सम्बन्धी अधिकारो मे दोनो स्तरो पर वृद्धि हुई जैसेः- पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना आदि ।
4. प्रथम बार भारतीयों को वायसराय व गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने की अनुमति मिली
5. सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हे वायसराय की कार्यकारी परिषद मे विधी सदस्य बनाया गया ।
6. मुस्लिमो के लिए साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त दिया गया जिसके लिए पृथक निर्वाचक दल separate electorate की बात की गई ।

कमियां :-

1. साम्प्रदायिक विभाजन क्षेत्र
2. लगभग सभी अन्तिम निर्णय अनुत्तरदायी कार्यकारी (वायसराय गवर्नर) के अधिकार क्षेत्र मे थे ।
3. राष्ट्रवादियों की संसदीय शासन वाली उत्तरदायी सरकारी बनाने मे असफल ।

1919 का भारत शासन अधिनियम

- 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत मे एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अखण्डनीय अंग की तरह होगा ।
- इसी आधार पर 1919 मे भारत शासन अधिनियम लाया गया जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते है ।
- मॉन्टेग्यू भारत सचिव था तथा चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था (मोन्ट फोर्ड एक्ट)

विशेषता :-

1. केन्द्रीय व प्रान्तीय विषयों की अलग अलग सूची बनाई गई जिससे केन्द्र का राज्यों पर नियंत्रण कुछ कम हुआ यद्यपि राज्यो का अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार था किन्तु सरकार का ढाँचा केन्द्रीय और एकात्मक हो रहा है ।
2. प्रान्तीय विषयों को दो भागो मे बांटा गया :- आरक्षित और हस्तान्तरित
   - हस्तान्तरित विषयो पर गवर्नर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियो के माध्यम से शासन करेगा
   - आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से बिना विधायी परिषद के हस्तक्षेप के करेगा अर्थात यह एक द्वेध शासन था
   - विधायिका मे बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का था

3. इस अधि. मे पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार भारतीय विधानपरिषद के दो सदन थे–
   - लेजिस्लेटिव असेम्बली (लोकसभा) व काउनसिल ऑफ स्टेट (राज्यसभा)
   - दोनो सदनो के बहुसंख्यक सदस्य सीधे चुनाव के द्वारा चुने जाते थे महिलाओ को मताधिकार नही दिया गया ।
4. शिक्षा कर और सम्पत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया
5. वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यो मे से कमांडर इन चीफ को छोडकर तीन सदस्यो का भारतीय होना आवश्यक था । इसमे मुस्लिमो के अतिरिक्त सिक्ख भारतीय, ईसाई एग्लो इण्डियन व यूरोपीय लोगो के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया ।
6. लन्दन मे भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजित किया तथा भारत सचिव के कुछ गैर कार्यो को उच्चायुक्त को स्थानान्तरित किया ।
7. एक लोकसेवा आयोग का प्रावधान किया गया । उच्च नागरिक सेवाओ के लिए गठित ''ली आयोग'' की सिफारिशों के आधार पर 1926 मे सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एक ''केन्द्रीय लोक सेवा आयोग'' का गठन किया गया ।
8. केन्द्रीय बजट को राज्यो के बजट से अलग किया गया तथा राज्य विधानसभाओ को अपना बजट स्वयं बनाने के अधिकार दिये गये ।
9. इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रस्ताव था जो कि 10 वर्ष के उपरान्त भारत की शासन प्रणाली का अध्ययन करेगा ।

कमियाँ :–

1. कोई भी प्रान्तीय दल गवर्नर की स्वीकृति के बाद वायसराय की अनुमति के लिए रोका जा सकता था
2. यद्यपि प्रान्तो को अपने विषयों पर कानून बनाने का तथा टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था किन्तु यह संघात्मक शक्ति वितरण नही था क्योंकि यह शक्ति केन्द्र द्वाराप्रत्यायोजन के आधार पर दी गई थी । केन्द्रीय विधानपरिषद भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी
3. केन्द्र मे उत्तरदायी सरकार की स्थापना नही थी वायसराय भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के अधीन था ।
4. किसी भी विषय के केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय होने के अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था ।
5. अधिकांश विषयों पर गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना चर्चा नही की जा सकती थी ।
6. वित्त एक आरक्षित विषय था जो कार्यकारी परिषद के सदस्य के अधीन था अतः धन की समस्या के कारण कोई प्रस्ताव आगे नही बढ पाता था ।
7. **ICS** के सभी सदस्य जिनके माध्यम से मंत्रियो को अपनी नीतियां क्रियान्वित करनी थी वे भारत सचिव द्वारा भर्ती किये जाते थे तथा मंत्रियो के स्थान पर भारत सचिव के लिए उत्तरदायी थे ।

1920 A.D. मे मद्रास मे सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया गया ।

साइमन कमीशन

- नवम्बर 1927 मे 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता मे भारतीय वैधानिक स्थिति को जानने के लिए एक 7 सदस्यीय आयोग गठित किया जिसे भारतीय वैधानिक आयोग भी कहते है
- आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे अतः सभी पार्टियो ने इसका विरोध किया ।
- आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 मे ब्रिटिश सरकार को सौंपी जिसमें निम्न सिफारिशें थी
  1. द्वैध शासन का अन्त
  2. प्रान्तो मे अधिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना
  3. ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतो के संघ की स्थापना
  4. साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिऐं ।
- साइमन कमीशन के प्रस्तावो पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा तीन गोलमेज (round table) सम्मेलन किये गये (1930, 1931, 1932)
- इनमे ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत व भारतीय रियासतो के प्रतिनिधि सम्मिलित हुऐ जिसमे कोई सहमति नही बन पाई
- उक्त चर्चाओ के आधार पर संवैधानिक सुधारो पर एक श्वेत पत्र बनाया गया जिसे ब्रिटिश संसद भेजा गया ।
- कुछ संशोधनों के साथ इस समिति की सिफारिशो को भारत शासन अधि. 1935 मे शामिल किया गया साइमन कमीशन के 7 सदस्यीय आयोग मे ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के सदस्य थे

साम्प्रदायिक अवार्ड :- अगस्त 1932 मे ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने अल्पसंख्यको के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना प्रस्तुत की जिसे साम्प्रदायिक अवार्ड कहा जाता है । इसके अन्तर्गत मुस्लिमों, सिक्खो, भारतीय ईसाईयो, एग्लो इण्डियन व यूरोपीयन के लिए पृथक निर्वाचन जारी रखा गया तथा दलितो के लिऐ भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई ।

भारत शासन अधिनियम 1935

- इसमे एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई जिसमें प्रान्तों और रियासतो को सम्मिलित किया तीन सूचियां बनाई गई
  (a). केन्द्रीय सूची 59 विषय
  (b). प्रांतीय सूची 54 विषय
  (c). समवर्ती सूची 36 विषय अवशिष्ट शक्तिया वायसराय को दी गई ।
  यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व मे नही आई क्योंकि देशी रियासतो ने इनमे शामिल होने से मना कर दिया
- प्रान्तो मे द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रान्तीय स्वायत्तता प्रारम्भ हुई राज्य सूची के विषयो मे स्वतंत्रता दी गई उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई क्योंकि गवर्नर को मंत्रियो की सलाह के अनुसार कार्य करना था जो कि प्रांतीय विधायिका के लिए जवाबदेह थे ।
- संघीय स्तर पर द्वैध शासन प्रारम्भ हुआ ।
  - संघीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तान्तरित मे विभक्त किया गया ।
  - भारतीय विषयों के लिए कार्यकारी पार्षदो जिनकी अधिकतम संख्या 3 निर्धारित थी के माध्यम से गवर्नर जनरल को शासन अधिकतम 10 मंत्रियो के द्वारा किया जाना था जो कि विधानपरिषद के लिए उत्तरदायी थें ।

- इसमें 11 मे से 6 प्रान्तो मे द्विसदनात्मक प्रणाली प्रारम्भ की
  - बंगाल, बाम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार, संयुक्त प्रान्त
  - उच्च सदन को विधानपरिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल) कहा व निम्न सदन को विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) कहा ।
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढाया गया । दलितों, महिलाओं एवं मजदूरो को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिये गये
- 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत सचिव की भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर सलाहकारो का एक दल उपलब्ध करवाया गया ।
- मताधिकार का विस्तार किया गया लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार दिया गया
- संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया साथ ही संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा प्रान्तीय लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया ।
- भारत की मुद्रा व साख नियंत्रण के लिए RBI का प्रावधान किया गया ।
- संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जो 1937 मे गठित हुआ
  - इसकी स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय विवादो तथा संविधान (1935 अधिनियम) की व्याख्या हेतु की गई जिसकी अपील लंन्दन मे प्रिवी काउंसिल मे की जा सकती है
  - महिलाओं को मताधिकार दिया गया ।

कमियाँ व विशेषताऐं:-

1. पूर्व के सभी अधिनियमो मे भारत सरकार एकात्मक थी इसके माध्यम से एक संघ का प्रस्ताव किया गया था जिससे सम्मिलित होने का रियासतो को स्वेच्छा से अधिकार दिया गया था ।
2. केन्द्रीय स्तर पर संघ नही बन पाया किन्तु प्रान्तीय स्वायत्तता के तहत 1937 से शासन प्रारम्भ हुआ
   - गवर्नर द्वारा प्रांतीय कार्यकारी दायित्वों का निर्वहन मुकुट के प्रतिनिधि के रूप मे करना प्रारम्भ न कि गवर्नर जनरल के अधीनस्थ के रूप मे
   - गवर्नर द्वारा मंत्रियो की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य था जो कि विधायिका के लिए उत्तरदायी थे किन्तु गवर्नर को विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनके लिए उसे मंत्रियो की सलाह के स्थान पर वायसराय के माध्यम से भारत सचिव की ओर से कार्य करना था ।
3. गवर्नर जनरल द्वारा सुरक्षा विदेश संबंध आदिवासी क्षेत्रो का प्रशासन तथा चर्चा संबंधी विषयों को अपने द्वारा नियुक्त सलाहाकारो के माध्यम से देखा जाना था जबकि अन्य विषयों के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना था जो कि विधायिका के लिए उत्तरदायी थी
   - इन कार्यो के सन्दर्भ मे भी यदि गवर्नर जनरल को विशेष उत्तरदायित्वो का निर्वहन करना है तो मंत्रिपरिषद की सलाह के विरूद्ध भारत सचिव के नियंत्रण एवं निर्देशन से कार्य कर सकता था ।
4. गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति के अतिरिक्त राजमुकुट भी केन्द्रीय विधायिका को वीटो कर सकता है
5. गवर्नर जनरल अपने विशेष उत्तरदायित्वों का हवाला देकर विधायिका मे किसी भी चर्चा अथवा बिल को रोक सकता था ।
6. अध्यादेश की शक्ति के साथ गवर्नर जनरल को सदन के चलते रहने की स्थिति मे भी कानून बनाने का अधिकार था
7. गवर्नर जनरल की विवेकाधीन शक्तियो मे कमी करने वाला कोई भी प्रस्ताव उसकी पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता था ।
8. प्रान्तो द्वारा पारित किये गये अधिकांश प्रस्तावो को गवर्नर जनरल अथवा राजमुकुट की स्वीकृति के लिए रोका जा सकता था ।
9. यद्यपि देशी रियायते उक्त प्रस्ताव मे शामिल नही हुई तथापि केन्द्र सरकार और प्रान्तो के मध्य संघात्मक प्रावधान क्रियान्वित हुऐ जो कि प्रत्यायोजन नही था ।

10. अवशिष्ट शक्तियां न तो केन्द्रीय विधायिका मे निहित थी और न ही प्रांतीय विधायिका मे गवर्नर जनरल दोनो मे से किसी को भी प्राधिकृत कर सकता था । बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान था ।

भारत शासन अधिनियम 1947

- 3 जुलाई 1947 को भारत के वायसराय माउन्ट बेटन ने विभाजन का प्रस्ताव रखा जिसे "माउन्ट बेटन योजना" कहते है
- कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनो के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर इसे लागू किया गया इसकी निम्न विशेषताऐं थी :-

1. भारत मे ब्रिटिश राज समाप्त हुआ तथा भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र एवं सम्प्रभु, राष्ट्र घोषित किया गया
2. इसमे भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाये जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से अलग होने की स्वतंत्रता थी ।
3. इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया जिसकी नियुक्ति डोमिनियन केबिनेट की सिफारिश पर राजमुकुट को करनी थी । ब्रिटेन की सरकार पर भारत या पाकिस्तान की सरकार का कोई उत्तरदायित्व नही था ।
4. इसके माध्यम से दोनो देशो की संविधान निर्मात्री सभा को अपनी इच्छानुसार संविधान बनाने एवं लागू करने का अधिकार मिला साथ ही ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार मिला
5. इसने दोनो देशो की संविधान सभा को प्राधिकृत किया कि जब तक नया संविधान लागू नही हो जाता तब तक अपने अपने क्षेत्र के लिए ये कानून बनाने का कार्य कर सकेगी ।
6. 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून दोनो देशों पर तब तक प्रभावी नही होगा जब तक कि संविधान सभा इसकी सहमति न दे
7. ब्रिटेन मे भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया तथा इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमण्डल सचिव को स्थानान्तरित हो गई ।
8. 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियायतो पर ब्रिटिश सम्प्रभुता समाप्त हो गई तथा रियायतो को भारत अथवा पाकिस्तान मे मिलने अथवा स्वतंत्र रहने की आजादी दी गई ।
9. ब्रिटिश काल में वीटो का अधिकार तथा स्वयं की अनुमति के लिए ब्रिटिश विधेयक को रोकने का अधिकार समाप्त हो गया किन्तु कुछ परिस्थितियो मे गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया ।
10. भारत के गवर्नर जनरल व राज्यो के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख के रूप मे स्थापित किया जिनकी शक्तियां यथार्थ न होकर नाममात्र की थी इन्हे मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना था
11. 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि ब्रिटिश शासन का अन्त हुआ तथा सत्ता दोनो डोमिनियन देशो को मिली
    - स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउन्ट बेटन तथा प्रथम स्वतंत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई
    - भारत की संविधान सभा भारत की संसद की तरह कार्य करने लगी ।
    - पाक का G.G. मौहम्मद अली जिन्ना
    - सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचित होना - गणतंत्र
    - सर्वोच्च शक्ति का वंशानुगत होना - राजतंत्र
    - नीचे की शक्ति का जनता द्वारा चुना जाना - लोकतंत्र

संविधान सभा

- सर्वप्रथम 1895 ई. मे बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की
- 1921 गांधीजी ने संविधान सभा की मांग की
- 1934 मानवेन्द्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग की (**M.N.** रॉय)
- 1935 कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की
- 1938 कांग्रेस के प्रतिनिधी के तौर पर जवाहर लाल नेहरू ने सार्वजनिक वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की
- 1940 अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा यद्यपि संविधान सभा शब्द का उल्लेख नही किया गया ।
- 1942 क्रिप्स मिशन निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव जो प्रान्तीय विधान मण्डल के निम्न सदन के सदस्यो के द्वारा
- 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया इसका निर्वाचन प्रान्तीय विधानमण्डल के निम्न सदन के सदस्यो के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ।

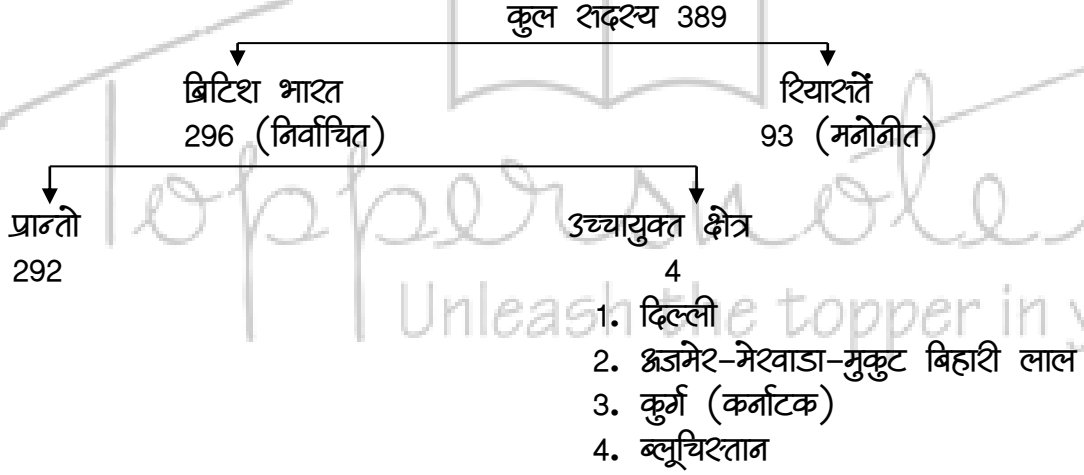

- जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था
- कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुऐ थे
- मुस्लिम के लिए 78 सीट आरक्षित की गयी थी उसमे से 73 सीट पर मुस्लिम लीग के सदस्य निर्वाचित हुऐ थे ।
- संविधान सभा के चुनावो के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया ।
- महात्मा गांधी एवं मौहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नही लडा था ।
- कुल 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी ।
- जय प्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रु ने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था ।
- 9 दिसम्बर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानन्द सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया ।
- 11 दिसम्बर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया
- **H.C.** मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।

- T.T. कृष्णामाचारी को भी उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया
- B.N. राव को संवैधानिक सलाहाकार नियुक्त किया गया
- संविधान का पहला प्रारूप **B.N.** राव ने तैयार किया था जबकि अन्तिम प्रारूप समिति ने तैयार किया था ।
- 13 दिसम्बर 1946 पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ।
- 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया ।

उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताऐं :-

1. सम्प्रभु व एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना ।
2. लोकतांन्त्रिक गणराज्य की स्थापना ।
3. नागरिको को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान करना
4. नागरिको को मूल अधिकार प्रदान करना ।
5. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना
6. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना ।

- उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के लिऐ दिशा निर्देशिका था जिसमें संविधान के आदर्शो को इसमें शामिल किया गया

महत्वपूर्ण समितियाँ :-

1. संघीय संविधान समिति
2. संघीय शक्ति समिति } अध्यक्ष – जवाहरलाल नेहरू
3. प्रान्तीय शक्ति समिति
4. प्रान्तीय संविधान समिति :- अध्यक्ष – सरदार वल्लभ भाई पटेल
5. मूल अधिकार, अल्प संख्यक, अनूसूचित व जनजातीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र के लिए समिति :- सरदार वल्लभ भाई पटेल
   - मूल अधिकार उप समिति– जे. बी. कृपलानी
   - अल्पसंख्यक के लिए उप समिति– **H.C.** मुखर्जी
   - अनूसूचित व जनजातीय क्षेत्र उप समिति– गोपीनाथ बारदोलोई
   - बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र के लिए उप समिति – **A.V.** ठक्कर

प्रारूप समिति :-

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष)
2. गोपाल स्वामी आयंगर
3. कृष्णा स्वामी अय्यर
4. **K.M.** मुंशी
5. मौहम्मद सादुल्लाह
6. **N.** माधव राव (**B.L.** मित्र त्याग पत्र)
7. **T.T.** कृष्णामाचारी (**D.P.** खेतान की मृत्यु)

- इसके बाद प्रारूप समिति ने 60 देशो के संविधान का अध्ययन किया और उससे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया ।
- प्रथम पठन 4 नवम्बर 1948 से 9 नवम्बर 1948 तक किया ।
- द्वितीय पठन 15 नवम्बर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया ।

- तृतीय पठन 14 नवम्बर से 26 नवम्बर 1949 तक किया ।
- 26 नबम्बर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये ।

15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका :-

- सम्प्रभु संस्था के रूप मे स्थापित हुई केबनिट मिशन की अनुशंसा के आधार पर कार्य करने की बाध्यता समाप्त हो गयी ।
- 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा ने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया संविधान सभा के साथ-साथ विधानमण्डल के रूप मे कार्य किया ।
- आजादी के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गये थे ।

299 सदस्य

229 ब्रिटिश प्रान्त 70 रियासतों

  - 299 मे से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे ।
- 15 अनुच्छेद 26 नबम्बर 1949 को लागू किये गये
  - अनु. 5,6,7,8,9 (नागरिकता से सम्बन्ध)
  - अनु. 60 (राष्ट्रपति की शपथ)
  - अनु. 324 (निर्वाचन आयोग)
  - अनु. 366, 367 (निर्वाचन संबंधि शब्दावली)
  - अनु. 379, 380, 388, 391, 392, 393
-

आरम्भ		वर्तमान
मूल संविधान मे भाग 2 थे	–	25
अनुच्छेद 395	–	460
अनूसचियाँ 8	–	12

संविधान सभा के द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय :-

- 22 जुलाई 1947- राष्ट्रध्वज को मान्यता दी ।
- मई 1949 "राष्ट्रमण्डल की सदस्यता" को मान्यता दी गयी
- 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गयी
- 24 जनवरी 1950 भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया
- 24 जनवरी 1950 इस दिन संविधान सभा की अन्तिम बैठक थी और इसके बाद इन्होंने इसको भंग कर दिया गया इसके बाद संविधान सभा विधानमण्डल के रूप मे यह कार्य करती रही (1952 तक)

संविधान सभा की आलोचना :-

- संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नही थी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत किये गये थे ।
- संविधान सभा के सदस्य प्रान्तीय विधानमण्डल के द्वारा निर्वाचित किये गये थे प्रान्तीय विधानमण्डल के सदस्यों का निर्वाचन भी सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर नही हुआ था इस समय केवल

10 प्रतिशत लोगो को मताधिकार था अतः 90 प्रतिशत जनसंख्या का संविधान सभा के निर्वाचन मे अप्रत्यक्ष योगदान भी नही था ।

- उपर्युक्त आलोचना उचित नही है क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियों मे संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्भव नही था क्योंकि
  1. चुनाव के लिए पर्याप्त ढाँचा नही था ।
  2. संसाधनों की कमी थी
  3. राजनैतिक अस्थिरता का वातावरण था ।
  4. साम्प्रदायिक हिंसा हो रही थी ।
  5. लोगो मे राजनैतिक जागरूकता व शिक्षा का अभाव था ।
  6. समयाभाव था ।
- उपर्युक्त कारणो से संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था जहाँ तक रियासतो के सदस्यों के मनोनयन का प्रश्न है उस समय बडी चुनौती यह थी कि रियासतो का भारत मे विलय कैसे किया जाऐ एवं रियासतो मे चुनावी ढाँचा उपलब्ध नही था ।
- संविधान सभा सम्प्रभु नही थी । संविधान सभा का निर्वाचन कैबनिट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था ब्रिटीश शासन के अन्तर्गत इसका निर्वाचन हुआ था इसलिए इसे सम्प्रभु संस्था नही माना जाता लेकिन 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा एक सम्प्रभु संस्था के रूप मे स्थापित हुई एवं कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूर्णतः मुक्त थी और संविधान सभा ने इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया था कि वह अपने सभी निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक लेगी ।
- संविधान निर्माण मे संविधान सभा ने अधिक समय लिया इसमे (2वर्ष 11 माह 18 दिन) का समय लिया जबकि अमेरिका संविधान निर्माताओ ने 4 माह मे संविधान पूरा कर दिया था
- यह आलोचना भी उचित नही है क्योंकि भारत व अमेरिका की स्थितियाँ भिन्न थी भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक बहुभाषी व जटिल सामाजिक ढाँचे वाला देश है इसमे अनेक वंचित वर्ग तथा जनजातीय लोग है जबकि इनमे राजनैतिक जागरूकता का अभाव था शिक्षा का अभाव था अतः ऐसे संविधान का निर्माण करना था जिसमे सभी के हितो की रक्षा कर सके इसके लिए अनेक विशेष प्रावधान किये गये है जबकि अमेरिका मे इतनी चुनौतियां नही थी ।
- अमेरिका संविधान मे रेड इण्डियन व निग्रोज के लिए अलग विशेष प्रावधान नही किये गये ।
- भारतीय संविधान विश्व स्तर का सबसे बडा संविधान है क्योंकि इसमे प्रत्येक बात को विस्तार से समझाया गया है जबकि अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है उसमे केवल 7 अनुच्छेद है जबकि भारतीय संविधान मे 395 अनुच्छेद थे ।
- भारतीय संविधान संघ के संविधान के साथ-साथ राज्यों का संविधान भी शामिल है जबकि अमेरिकी संविधान मे केवल संघ का संविधान ही है और सभी राज्यों के अलग संविधान है जो कालान्तर मे बनाये गये थे ।
- संविधान सभा मे कांग्रेस का प्रभुत्व था इसलिए संविधान मे कांग्रेस की विचारधारा को अधिक महत्व दिया गया है ।
  कांग्रेस ने राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया था एवं वह सबसे बडा राजनैतिक दल था इसका जनाधार अधिक था इसलिए प्रान्तीय विधानमण्डलो के चुनावों मे कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी एवं इसी कारण संविधान सभा मे कांग्रेस के अधिक सदस्य थे इसके बावजूद संविधान सभा मे सभी राजनैतिक दलो के विचारो को पर्याप्त महत्व दिया गया यहाँ तक की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य नही थे संविधान निर्माण मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही थी । प्रारूप समिति मे केवल 2 कांग्रेस के प्रतिनिधि थे शेष सभी सदस्य गैर कांग्रेसी थे । (K.M. मुंशी, T.T. कृष्णामाचारी) वैसे भी संविधान मे किसी भी एक विचारधारा को अधिक महत्व नही

दिया गया है बल्कि सभी विचारधाराओ को बराबर महत्व दिया है भारतीय संविधान एक संतुलित संविधान है ।

- संविधान सभा मे हिन्दु बहुत थे इसलिए हिन्दु विचारो को अधिक महत्व दिया गया ।
- संविधान सभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था तथा विभाजन के बाद अधिकांश मुस्लिम सदस्य पाकिस्तान चले गये थे तथा जो मुस्लिम लीग के सदस्य भारत मे रह गये थे उनका संविधान सभा मे स्वागत किया गया था ।
  तथा उनके विचारो को पर्याप्त महत्व दिया गया था और वैसे भी संविधान सभा के अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये थे ।
- इसी प्रकार संविधान सभा की उपर्युक्त आलोचनाऐं उचित नही है और भारतीय संविधान अपने आप मे सबसे बडा प्रमाण है कि संविधान सभा ने श्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया और 68 वर्षो का सफल क्रियान्वयन इसे प्रमाणित करता है ।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

भारतीय संविधान के स्त्रोत

भारत शासन अधिनियम 1935 :-

- संघ व्यवस्था
- राज्यपाल
- न्यायपालिका
- लोकसेवा आयोग
- आपातकालीन प्रावधान

ब्रिटेन :-

- संसदीय शासन प्रणाली
- विधि का शासन
- विधायी प्रक्रिया
- एकल नागरिकता
- केबिनेट व्यवस्था
- संसदीय विशेषाधिकार
- द्विसदनात्मक व्यवस्था

U.S.A :-

- मूल अधिकार
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- न्यायिक पुनरावलोकन
- उपराष्ट्रपति का पद
- उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो को हटाना
- राष्ट्रपति को हटाया जाना (महाभियोग)

आयरलैण्ड :-

- नीति निदेशक तत्व
- राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
- राज्यसभा के सदस्यो का नामाकंन मनोनयन

कनाडा :-

- सशक्त केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था ।
- अवशिष्ट शक्तियो का केन्द्र में निहित होना ।
- केन्द्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
- उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार

आस्ट्रेलिया :-

- समवर्ती सूची ।
- व्यापार वाणिज्य एवं आवागमन की स्वतंत्रता ।
- संसद के दोनो सदनों का संयुक्त बैठक

जर्मनी :-

- ❖ आपातकाल मे मूल अधिकारों का निलम्बन

सोवियत संघ :-

- ❖ मूल कर्त्तव्य
- ❖ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय (प्रस्तावना मे निहित)
- ❖ न्याय की अवधारणा

फ्रांस :-

- ❖ गणतंत्र
- ❖ स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना

दक्षिण अफ्रीका :-

- ❖ संविधान संशोधन की प्रक्रिया
- ❖ राज्यसभा के सदस्यो का चुनाव

Toppersnotes
Unleash the topper in you